दीवानी वाद संख्या53/2014
पुरूषोत्तम बनाम सुभाषचंद
दिनांक 18-12-2025

वकील पक्षकारान उपस्थित। आज प्रतिवादी की ओर से आवेदन अंतर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का जबाब पेश किया, नकल दिलायी गयी, शामिल रहे।

उक्त आवेदन पर उभय पक्षो को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिन दो दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 19-1-2005 एवं लीज डीड क्रमांक 410 दिनांकित 7-4-2004 नगर सुधार न्यास की असल तलब करवाने की याचना की गयी है। जिसका आधार यह बताया गया है कि वादी द्वारा दिनांक 07-4-2004 निष्पादित लीज डीड वाद के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए आवश्यक रही है क्योकि वादी ने निष्पादक के हस्ताक्षरो को चुनौती दी गयी है।

जिसके जबाब से यह स्पष्ट होता है कि पटटा दिनांक 7-4-04 एवं विक्रय पत्र दिनांक 19-1-05 की प्रमाणित प्रतियों पर क्रमशः प्रदर्श-4 व 15 के रूप मे प्रदर्शित हो चुके है। उक्त दस्तावेजात की हस्तलिपि विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्रदर्श-3,7,8,14,16 भी पत्रावली पर प्रस्तुत है तथा असल दस्तावेज प्रतिवादी के आधिपत्य मे नहीं होकर सिटी यूनियन बैक, कचहरी रोड, अजमेर के यहां रहन रखे हुए है।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा जिन दस्तावेजात को तलब करवाना चाहा गया है उन दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां पूर्व से प्रस्तुत होकर प्रदर्शित हो चुकी है। जो हस्ताक्षरो को चुनौती दिये जाने का कथन किया है तो वादी को ही यह साबित करना है कि वे हस्ताक्षर कूटरचित रहे है। असल दस्तावेज प्रस्तुती से उक्त प्रयोजन मे किस प्रकार से सफल होगे यह वादी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाताहै।

आदेश सुनाया गया। प्रकरण लक्षित प्रकरणों मे से एक रहा है। अतः आगामी पेशी पर प्रतिवादी पक्ष अपने साक्षी को जिरह हेतु आवश्यक रूप से उपस्थित रखे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी जिरह हेतु दिनांक 9/1/26 को पेश हो।

18.12.25

अपर जिला एंव सशन न्यायाधीश
संख्या - 2 अजमेर